

प्रेषक,
अमृत अभिजात,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
सेवा में,
जिलाधिकारी,
अयोध्या।

नगर विकास अनुभाग-1

लखनऊ : दिनांक 11 जनवरी, 2024

विषय:- अयोध्या धाम में आगामी भव्य श्री राम जन्म भूमि मन्दिर प्रतिष्ठा समारोह के आयोजन के दृष्टिगत जनपद अयोध्या में 25000 श्रद्धालुओं/दर्शनार्थियों हेतु टेन्टेड डोरमेट्री व्यवस्था विकसित कर संचालित कराये जाने हेतु मेला मद से धनावंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मण्डलायुक्त, अयोध्या के पत्र संख्या-569/वै0स0(आयुक्त), दिनांक 10.01.2024 एवं प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, लखनऊ के पत्र संख्या-1904/संचालन-4/डोरमेट्री अयोध्या/2021, दिनांक 11.01.2024 (छायाप्रति संलग्न) का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से अयोध्या धाम में आगामी भव्य श्री राम जन्म भूमि मन्दिर प्रतिष्ठा समारोह के आयोजन के दृष्टिगत जनपद अयोध्या में 25000 श्रद्धालुओं/दर्शनार्थियों हेतु टेन्टेड डोरमेट्री व्यवस्था विकसित कर संचालित कराये जाने हेतु धनराशि रू0-7.50 करोड़ अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद अयोध्या में 25000 श्रद्धालुओं/दर्शनार्थियों हेतु टेन्टेड डोरमेट्री व्यवस्था विकसित कर संचालित कराये जाने हेतु, वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक-2053-जिला प्रशासन-094-अन्य स्थापनायें-05- स्थानीय निकायों के क्षेत्र में लगने वाले प्रान्तीयकृत मेलों एवं प्रदर्शिनियों हेतु व्यवस्था-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद में प्राविधानित धनराशि रू0-7600.00 लाख के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू0-4000.39 लाख में से धनराशि रू0-750.00 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए, उक्त के सापेक्ष सम्पूर्ण धनराशि रू0-750.00 लाख (रूपये सात करोड़ पचास लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए, एतद्वारा आपके निवर्तन पर रखते हुए व्यय किये जाने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है:-

(1) प्रश्रगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(2) स्वीकृत धनराशि एकमुश्त न आहरित कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/डाकघर/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

PMgo

- (3) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
- (4) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जाये। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।
- (5) प्रशासनिक विभाग यह सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है।
- (6) स्वीकृत धनराशि जिलाधिकारी अयोध्या द्वारा कोषागार से आवश्यकतानुसार मण्डलायुक्त अयोध्या का अनुमोदन प्राप्त कर आहरित की जायेगी एवं कार्यदायी विभाग/संस्था-उ०प्र० राज्य पर्यटन विकास निगम को उपलब्ध करायी जायेगी। कार्यदायी विभाग द्वारा सक्षम अधिकारी की अनुमति से धनराशि व्यय की जायेगी।
- (6) स्वीकृत धनराशि का व्यय विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र, कार्यालय महालेखाकार, उ०प्र०, प्रयागराज एवं शासन को यथासमय उपलब्ध कराया जायेगा।
- (7) स्वीकृत प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिये है उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जायेगा।
- (8) जिलाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृति नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है।
- (9) निष्प्रयोज्य होने वाले उपकरणों/सामग्री से प्राप्त धनराशि राजकोष में जमा करना सुनिश्चित करेंगे।
- (10) उक्त कार्य/परियोजना को कराये जाने के उपरान्त होने वाला वास्तविक व्यय के सापेक्ष अवशेष देयकों के भुगतान की औचित्यपूर्ण एवं प्रमाणित माँग प्रस्ताव प्राप्त होने के पश्चात् धनराशि निर्गत की जायेगी।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 7,50,00,000 (रुपये सात करोड़ पचास लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या 037 लेखा शीर्षक 2053000940500** स्थानीय निकायों के क्षेत्र में लगने वाले प्रान्तीकृत मेलों एवं प्रदर्शनियों हेतु व्यवस्था **मानक मद 20** सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक- 17-मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(अमृत अभिजात)

Digitally Signed by अमृत
प्रमुख सचिव,
अभिजात

उत्तर प्रदेश शासन।
Date: 17/03/2024 18:31:15

Reason: Approved

संख्या- 100 /2024/002-1737705, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव पर्यटन विभाग, उ०प्र० शासन।
2. मण्डलायुक्त, अयोध्या को उनके पत्र दिनांक 10.01.2024 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. महालेखाकार, उ०प्र० प्रयागराज।
4. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, लखनऊ को उनके पत्र दिनांक 11.01.2024 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. कोषाधिकारी, अयोध्या।
6. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उ०प्र० प्रयागराज/स्थानीय निकाय, लखनऊ।
7. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-9/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
8. सुपर वेब यूजर्स/कम्प्यूटर सेल, नगर विकास विभाग को एलाटमेंट/विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
9. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(अमृत अभिजात)
प्रमुख सचिव।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2023-2024
आवंटन दिनांक-11/01/2024

प्रेषण संख्या:- 100
आवंटन आदेश संख्या:- 001-100-2024-002-1737705
अनुदान संख्या:- 37 नगर विकास विभाग(वित्तीय वर्ष 2023-2024 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2053 - जिला प्रशासन(आयोजनेत्तर-मतदेय)

094 - अन्य स्थापनाएं
05 - स्थानीय निकायों के क्षेत्र में लगने वाले प्रान्तीकृत मेलों एवं प्रदर्शनियों हेतु व्यवस्था

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	योग
1	अयोध्या-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	75000000 345461000	75000000 345461000
	योग	वर्तमान प्रगामी	75000000 345461000	75000000 345461000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया सात करोड़ पचास लाख

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया चौतीस करोड़ चौवन लाख इकसठ हजार


(कल्याण बनर्जी)
संयुक्त सचिव



उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लि०
राजर्षि पुरुषोत्तम दास टण्डन पर्यटन भवन
सी-13, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
फोन नं०. 0522-2308017, फैक्स नं०-0522-2308937

पत्रांक: 1904/ संचालन-4/ डोरमेट्री अयोध्या/2024

: दिनांक-11/01/2024

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
नगर विकास विभाग,
उ०प्र० शासन।

विषय:-जनपद अयोध्या में 25000 श्रद्धालुओं/दर्शनार्थियों हेतु टेन्टेड डोरमेट्री व्यवस्था विकसित कर संचालित कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आपके पत्र सं०-94/9-1-2024-1737705 दि० 11.01.2024 एवं मण्डलायुक्त, अयोध्या के पत्र सं०-569/वै०स० (आयुक्त) दिनांक 10.01.2024, जिसके माध्यम से भगवान श्रीराम लला की प्राण-प्रतिष्ठा के उपरान्त प्रदेश/देश के विभिन्न भागों से सम्भावित श्रद्धालुओं के आगमन के दृष्टिगत के उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद द्वारा संचालित की जा रही ग्रीन फील्ड टाउनशिप की रिक्त भूमि पर प्रतिदिन 25000 दर्शनार्थियों के प्रयोग हेतु समस्त अवस्थापना सुविधायुक्त (यथा बिजली की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, शौचालय इत्यादि) डोरमेट्री 02 माह के लिये निर्मित किये जाने के सम्बन्ध में उ०प्र० राज्य पर्यटन विकास निगम को कार्यदायी संस्था नामित करते हुये आवश्यक धनराशि की व्यवस्था संयुक्त रूप से पर्यटन विभाग एवं नगर विकास विभाग द्वारा किये जाने के निर्देश प्राप्त हुये हैं।

उक्त के सम्बन्ध में निम्नवत् अवगत कराना है :-

- 1- कार्य की आकस्मिकता, महत्ता, समयबद्धता एवं अपरिहार्यता के दृष्टिगत ई-टेण्डर पोर्टल अथवा जेम पोर्टल पर निविदाएं आमंत्रित किया जाना व्यवहारिक रूप से सम्भव नहीं है। अतः ऐसी आकस्मिकता की स्थिति में मैनुअल टेण्डर प्रक्रिया के माध्यम से ही नियमानुसार विकासकर्ता फर्म का चयन किया जा सकता है, जिस हेतु प्रमुख सचिव पर्यटन द्वारा अनुमोदन प्रदान किया जा चुका है तथा कार्यवाही प्रारम्भ की जा चुकी है। नगर विकास विभाग से उक्त हेतु अपेक्षित अनुमोदन निवेदित है।
- 2- 25000 श्रद्धालुओं की डोरमेट्री व्यवस्था पांच पृथक ब्लॉकों में प्रत्येक में 5000 हजार व्यक्तियों की व्यवस्था सहित कराया जायेगा।
- 3- डोरमेट्री व्यवस्था हैंगर/टेन्ट के अन्तर्गत करायी जायेगी।
- 4- अतिथियों के सुविधार्थ समुचित संख्या में शौचालय पृथक से डोरमेट्री स्थल पर स्थापित कराये जायेंगे।

दिनांक 26.01.2024 से 02 माह की अवधि तक 25000 व्यक्तियों के अवस्थापन हेतु डोरमेट्री व्यवस्था विकसित कर संचालित कराये जाने पर लगभग रू०-15.00 करोड़ जी०एस०टी० अतिरिक्त का व्यय सम्भावित है। वास्तविक व्यय निविदादाता के चयन के उपरान्त ही ज्ञात हो सकेगा।

कृपया उक्त से अवगत होते हुये प्रस्ताव पर औपचारिक स्वीकृति प्रदान करने के साथ-साथ मण्डलायुक्त अयोध्या के पत्र के क्रम में जनपद अयोध्या में दर्शनार्थियों/श्रद्धालुओं के अवस्थापन हेतु विकसित की जाने वाली डारमेट्री व्यवस्था के कार्य हेतु प्रथम चरण में अग्रिम के रूप में रू0-7.50 करोड़ की धनराशि उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0 के पक्ष में अवमुक्त कराने का कष्ट करें। जिससे यथाशीघ्र अग्रतर कार्यवाही किया जाना सम्भव हो सके।

Name of Beneficiary :- UPSTDC Ltd

Name of Bank Branch :- Canara Bank, Vipin Khand, Gomti Nagar Lucknow

Account Number :- 2405101006659

IFSC Code :- CNRB0002405

भवदीय

M
11/01/2024

(अश्विनी कुमार पाण्डेय)

प्रबन्ध निदेशक

पृ0प0सं0 /संचालन-4/डोरमेट्री अयोध्या/2023 :: समदिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- वैयक्तिक सहायक मुख्य सचिव, उ0प्र0 को महोदय के अवगतार्थ।
- 2- प्रमुख सचिव, पर्यटन को इस अनुरोध के साथ कि मण्डलायुक्त, अयोध्या के पत्र सं0-569/वै0स0 (आयुक्त) दिनांक 10.01.2024, के क्रम में अग्रिम के रूप में रू0-7.50 करोड़ की धनराशि पर्यटन निगम के पक्ष में अवमुक्त कराने का कष्ट करें।
- 3- मण्डलायुक्त, अयोध्या।

(अश्विनी कुमार पाण्डेय)

प्रबन्ध निदेशक